अनुदान संख्या 71 – कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 71–MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*12,21,00*		*15,56,00*	*15,23,47*	*–32,53*
पूरक	*Supplementary*	*3,35,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*23,96*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	507,44,00		554,48,00	519,15,90	–35,32,10
पूरक	Supplementary	47,04,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					29,35,56
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*9,00,00*	*3,19,43*	*–5,80,57*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*5,80,56*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	146,85,00		162,06,00	162,02,91	–3,09
पूरक	Supplementary	15,21,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					86

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving occurred under the following head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	*O.*	*1213.00*			
पू.	*S.*	*330.00*	*1509.04*	*1501.10*	*–7.94*
पु.	*R.*	*–33.96*			

(I) "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग" के अंतर्गत *1213.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में *330.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *1543.00 लाख रु.* कर दिया गया, तथापि, जो किफायती उपाय किए जाने के कारण *41.90 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Vigilance - Central Vigilance Commission" – the original *appropriation* of *Rs.1213.00 lakhs* was augmented to *Rs.1543.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.330.00 lakhs* in December, 2009 and March, 2010 which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.41.90 lakhs* – due to economy measures.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (3532.10 लाख रु.) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 4704.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 75 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3532.10 lakhs) constituted 75 percent of the supplementary grants of Rs.4704.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 6 percent of total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	11488.00			
पू.	S.	386.00	9654.77	9454.55	–200.22
पु.	R.	–2219.23			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2051" लोक सेवा आयोग	Major Head "2051" Public Service Commission					
मू.	O.	3684.00				
	S.	31.00		3446.65	3422.96	–23.69
पु.	R.	–268.35				
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police					
मू.	O.	20507.00				
पू.	S.	3327.00		24239.69	24006.11	–233.58
पु.	R.	405.69				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	10343.00				
पू.	S.	60.00		9579.96	9477.86	–102.10
पु.	R.	–823.04				

(I) 41.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" - 11382.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 370.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11752.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2377.56 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) न्यायालय मामले की वजह से संस्कृति विद्यालय को संग्रह निधि और सहायता अनुदान जारी न किए जाने, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति से कम मांग प्राप्त होने, पेंशनर संस्थाओं से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आचार संहिता लगाए जाने की वजह से सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री अवार्ड और मुख्य सचिवों के सम्मेलन के लिए कम निधियों की

(I) Provision of Rs.41.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" – the original provision of Rs.11382.00 lakhs was augmented to Rs.11752.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.370.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2377.56 lakhs (including supplementary grant) - due to non-release of Corpus fund and Grants-in–aid to Sanskriti School owing to Court case, receipt of less demands from Central Government Employees Welfare Coordination Committee, non-receipt of utilisation certificates from Pensioners Associations, requirement of less funds

आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2051'' - ''कर्मचारी चयन आयोग - स्थापना'' - 3655.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 31.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3686.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 298.08 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को स्थागित किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''अन्य व्यय - विभागीय कैंटीन'' के अंतर्गत 98.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 27.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 125.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा संबंधी दावे कम प्राप्त होने के कारण 16.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण'' -

(क) ''अन्य प्रशिक्षण स्कीमें'' - 1433.41 लाख रु. की बचत (4916.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों में कमी आने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अवसंरचना सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन'' - 100.27 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना'' स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग'' - 117.51 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''सूचना प्रौद्योगिकी योग्य केंद्रीय सतर्कता आयोग कोर

towards Civil Service Day, PM's award and Chief Secretaries Conference owing to Code of conduct imposed by CEC and economy measures.

(B) Major Head "2051" – "Staff Selection Commission - Establishment" – the original provision of Rs.3655.00 lakhs was augmented to Rs.3686.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.31.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.298.08 lakhs (including supplementary grant) – due to postponement of Combined Graduate level Examination and economy measures.

(III) Under Major Head "2055" – "Other Expenditure – Departmental Canteens" – the original provision of Rs.98.00 lakhs was augmented to Rs.125.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.27.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.16.67 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(IV) Under Major Head "2070" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training" –

(a) "Other Training Schemes" – saving of Rs.1433.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4916.50 lakhs) was due to reduced activities under some training programme and economy measures.

(b) "Improvement of infrastructure and upgradation of essential facilities at LBSNAA" – saving of Rs.100.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to delay in finalisation of the scheme "Setting up of National Centre for Good Governance".

(B) "Vigilance - Central Vigilance Commission" – saving of Rs.117.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was

प्रक्रियाएं'' की नई योजना स्कीम के अंतर्गत प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में टाटा कन्सलटेंसी सर्विस के सफल न होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (592.60 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण - भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''आपराधिक अन्वेषण तथा सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' - 224.19 लाख रु. का अधिक व्यय (3300.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 23214.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष सलाहकारों के लंबित दावों का निपटान करने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों की शाखाओं में विशेष न्यायालय और सशस्त्र गारदों की तैनाती किए जाने और तेरहवें महीने का वेतन का भुगतान किए जाने, वेतन बकायों, शिक्षा शुल्क और छुट्टी यात्रा रियायत, 900 नए मोबाइल फोन कनेक्शनों पर प्रतिबद्ध व्यय और मोटर वाहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी'' - 176.85 लाख रु. का अधिक व्यय (59.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1463.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैदराबाद और भोपाल में समान्तर फाउन्डेशन पाठ्यक्रम चलाने और बढ़े हुए वेतन और मजदूरी की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

due to failure of Tata Consultancy Services in achieving the milestones committed under the new Plan Scheme for "IT enabling core CVC processes".

3.(I) The above savings were partly (Rs.592.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2070" – "Training – Grant to Indian Institute of Public Administration".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" – "Criminal Investigation and Vigilance – Central Bureau of Investigation" – excess of Rs.224.19 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.23214.00 lakhs including supplementary grant of Rs.3300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear pending claims of special counsels, special court and Armed Guards deployed at CBI branches payment of 13th month salary, pay arrears, tuition fee and Leave Travel Concession, committed expenditure on 900 new mobile phone connections and purchase of vehicles.

(B) Major Head "2070" – "Training - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" – excess of Rs.176.85 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1463.00 lakhs including supplementary grant of Rs.59.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for conducting parallel foundation course at Hyderabad and Bhopal and payment of increased salary and wages.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

				कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*900.00*	*319.44*	*319.43*	*–0.01*
पु.	*R.*	*–580.56*			

(I) "गैर योजना स्कीमों के लिए कर्ज - भवन निर्माण अग्रिम - अखिल भारतीय सेवा अधिकारी" के अंतर्गत *580.57 लाख रु.* की बचत (*900.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "Loans for Non Plan Schemes – House Building Advance – All India Service Officers" – saving of *Rs.580.57 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.900.00 lakhs*) was due to receipt of less demands from the State Governments.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" - "लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" – "Capital Outlay on Public Works".